

पूर्वोत्तर भारत और हिंदी

प्रो. लालचंद राम

पूर्वोत्तर भारत का अर्थ भारत के सर्वाधिक पूर्वी दिशा में स्थित राज्यों से है। जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा कुल आठ प्रदेश हैं। 'अरुणाचल प्रदेश' को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987ई. में मिला, किन्तु उससे पूर्व 15 वर्षों तक (1972-87 ई.) यह राज्य केन्द्र शासित प्रदेश रहा। भाषा की दृष्टि से अरुणाचल में 42 बोलियाँ बोली जाती हैं और यहाँ की अधिकांश भाषाएँ तिब्बती बर्मी परिवार से सम्बन्ध रखती हैं। यह भाषा सांस्कृतिक बहुल राज्य है और मुगलों के शासन से मुक्त रहा है। अरुणाचल सघन वनों से अच्छादित हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। इसे उगते सूर्य का प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ प्रयुक्त होने वाली भाषाओं की कोई अपनी लिपि नहीं है सिर्फ खामटी समूह की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसकी अपनी लिपि है। शेष भाषाएँ देवनागरी लिपि में ही प्रयुक्त की जाती हैं। हर प्रदेश का कोई न कोई मिथक होता है। अरुणाचल का भी प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास मिथकों से भरा हुआ है।

जहाँ तक भाषा का सवाल है, अरुणाचल भाषा एवं संस्कृति बहुल होने के साथ ही उसकी संपर्क भाषा हिंदी है। हालाँकि सरकारी कामकाज, पत्र व्यवहार अंग्रेजी में होता है किन्तु बाजार, यातायात, रोजगार आदि क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग प्रचलित है। हालाँकि केन्द्र सरकार के आदेश द्वारा 1956ई. से हिंदी विषय को अरुणाचल प्रदेश के विद्यालयों में पठन-पाठन हेतु अनिवार्य कर दिया गया था।

देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में हिंदी का प्रयोग व्यवहार राजभाषा की दृष्टि से 'क' क्षेत्र की तरह होता है। लेकिन उसकी गिनती 'ग' क्षेत्र में की जाती है। भाषा के क्षेत्र में काम करते हुए, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अरुणाचल प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं पर बहुत काम किया है। एन.सी. ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित हिंदी की पाठ्यपुस्तक 'अरुण भारती' वहाँ के 'विद्यालयों' में वर्षों तक पढ़ाई जाती रही है

जिससे हिंदी के प्रति वहाँ के लोगों में रुचि पैदा हुई और वह आमजन तक सुलभ हो सकी।

अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसे सामरिक दृष्टि से भारत का हिस्सा ही नहीं, बल्कि बहुत जागरूक बनाया गया। वहाँ की जनता देश प्रेम तथा राष्ट्रभक्ति से भरी हुई है। चीनी सैनिकों के अवांछित घुसपैठ की सूचना सबसे पहले वहाँ की जनता को होती है और वे तुरंत भारतीय सैनिकों को देते हैं। सीमावर्ती होने के कारण सेना के जवानों की आवाजाही बढ़ने तथा जनता से जुड़ने में संपर्क भाषा का काम हिंदी बखूबी करती है। प्राकृतिक सुख की दृष्टि से भी यह पर्यटन का प्रमुख केन्द्र रहता है, उससे भी हिंदी का विकास हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश की जनता भी प्रदेश से बाहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा अन्य प्रमुख शहरों में आती- जाती है। आवागमन, पर्यटन, बाजार, विज्ञापन, हिंदी फिल्म तथा गानों ने भी वहाँ हिंदी का वृहत संसार सृजित किया है। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक सम्पन्नता की दृष्टि से

अरुणाचल प्रदेश का कोई शानी नहीं है। यह देश का पूर्वी राज्य है। अरुणाचल के पूर्वी छोर पर एक छोटा-सा गाँव 'काहो' है जो भारत चीन सीमा का आखिरी गाँव है।

अरुणाचल प्रदेश की सीमा चार देशों के साथ लगती है। पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार (बर्मा) तथा उत्तर में तिब्बत और चीन। यहाँ से शेष भारत में प्रवेश के केवल दो ही रास्ते हैं। एक असम के रास्ते और दूसरा नागालैण्ड के रास्ते। भारत और चीन में तनातनी के कारण यह प्रदेश हमेशा चर्चा का विषय रहता है। यहाँ के निवासी ईश्वर में आस्था रखते हैं तथा प्रकृति पूजक हैं। साथ ही न्यायप्रिय और दयालु भी हैं। भूटान, तिब्बत तथा म्यांमार की सीमाओं के साथ लगने वाले क्षेत्रों के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। किन्तु वहाँ का मुख्य धर्म ईसाई और हिन्दू है। हालाँकि कुछ दशक पहले जैन, सिक्ख तथा इस्लाम के अनुयायियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। ये प्रायः प्रवासी लोग हैं जो व्यापार, निर्माण तथा सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं। उन्हीं लोगों के साथ उनकी आस्था, धर्म तथा संस्कृति भी राज्य में आ गई है। हालाँकि साम्प्रदायिक झगड़े या उन्माद यहाँ नहीं पाए जाते हैं। विविध भाषा भाषी धर्म तथा संस्कृति के आपसी मेलजोल से वहाँ सामाजिक सौहार्द बढ़ा है और हिंदी संपर्क भाषा होने के नाते संवाद तथा व्यवहार का माध्यम भी बनी। हालाँकि आसपास के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वे भी पड़ोसियों की तरह अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक कार्य तथा विद्यालयों में पठन- पाठन की माध्यम भाषा अंग्रेजी है, परन्तु द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में हिंदी प्रयोग की जाती है।

यह कहा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश बहुभाषा- भाषी राज्य है, किन्तु हिंदी के प्रति वहाँ के लोगों में प्रेम और सद्भाव देखने को मिलता है। हिंदी प्रचार-प्रसार की संस्थाओं ने भी हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कदम उठाए हैं। बाकी राज्यों की तुलना में अरुणाचल प्रदेश हिंदी के काफी निकट दिखाई पड़ता है। वैसे भी भाषा और संस्कृति कोई प्रादेशिक सीमा नहीं होती। उसके बोलने वाले जहाँ-जहाँ जाएँगे, वहाँ-वहाँ तक भाषा और संस्कृति भी यात्रा करती जाएगी। पूर्वोत्तर के प्रदेशों में हिंदी भाषी जनता, व्यापार तथा रोजी-रोटी की तलाश में वहाँ पहुँचकर अपनी भाषा और संस्कृति को भी बाजार की भाषा में बदला है। इस दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा पठन-पाठन के लिए स्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं। थोड़े प्रयास से हिंदी का बेहतर विकास वहाँ के जनमानस द्वारा हो सकता है। जिस तरह से भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष पैकेज आवंटित किया है या इससे हिंदी का विस्तार भी हुआ है। आने वाले वर्षों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को ध्यान में रखकर अगर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, राज्य व केन्द्र सरकार के कार्यालय, सिनेमा, मीडिया और विभिन्न टेलीविजन चैनल के कार्यालय या इनकी शाखाएँ अरुणाचल प्रदेश में खोली जाएँ तो वह निश्चित ही अरुणाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अरुणाचल से प्रकाशित हिंदी पत्र 'अरुण भूमि' की हिंदी के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका है। किन्तु इसके अतिरिक्त भी पत्र- पत्रिकाओं व समाचार पत्रों का प्रकाशन राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या बेशक कम है, किन्तु लोग बहुत जागरूक हैं। उनकी जागरूकता को राष्ट्रभक्ति का जामा पहनाकर देश की मुख्य

धारा में शामिल किया जा सकता है। पहले हम उनके बनें फिर उन्हें अपना बनाएँ, पहले उनकी भाषा संस्कृति से अपने को जोड़ें फिर उनको अपनी भाषा संस्कृति से।

पूर्वोत्तर प्रदेश 'असम' भारत के उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार है। इसकी भी प्राकृतिक सुषमा अनुपम है। असम चाय बागानों के लिए भी जाना जाता है। हरे भरे वन, ब्रह्मपुत्र की नदियाँ और उनकी शाखाएँ चाय के विशाल बागान और तेल- क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय हैं। भौगोलिक रूप से असम पश्चिम बंगाल में एक दो किलोमीटर लम्बी भूपट्टी से सिली गुड़ी के पास शेष भारत से जुड़ा हुआ है। इसकी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश हैं। असम कृषि प्रधान देश है। जहाँ धान की दो प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, कोयला, चूना, पत्थर, ग्रेनाइट, चाय और पर्यटन राज्य के प्रमुख उद्योग हैं। किन्तु अन्य उद्योगों में खाद, चीनी, कागज, चावल की मिलें, खाद्य प्रसंस्करण तथा रेशम की खेती आदि शामिल हैं। असम अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम आदि राज्यों से जुड़ा हुआ है। सन् 1885ई. के बाद जब स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा तब राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी की आवश्यकता लोगों को महसूस होने लगी थी, किन्तु असम में हिंदी को लेकर कोई संस्थागत प्रयास नहीं हुए। 1926ई. में पहली बार विद्यालयों में हिंदी शिक्षण को एक विषय के रूप में जगह मिली जबकि अब वहाँ तीसरी कक्षा से आठवीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है और दसवीं तक ऐच्छिक विषय के रूप में। 1934ई. में जब गांधीजी 'अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ' की स्थापना के लिए असम आए थे तो उन्होंने अपने संबोधन में हिंदी सीखने की बात कही थी। गांधीजी से प्रभावित होकर कुछ नागरिकों ने कहा कि हम हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम तो शुरू कर सकते हैं, किन्तु ऐसा करने के लिए हमें कोई हिंदी का व्यक्ति चाहिए, क्योंकि हमारे पास हिंदी सिखाने वालों की कमी है। इस बात से संतुष्ट होकर गांधीजी ने बाबा राघवदास को हिंदी प्रचारक के रूप में नियुक्त करके असम भेज दिया। असम पहुँचकर बाबा राघवदास ने हिंदी भाषी लोगों को हिंदी शिक्षण के लिए नियुक्त किया। ये सभी प्रशिक्षित अध्यापक तो नहीं थे, किन्तु असमिया भाषा जानते थे जो हिंदी के प्रचारक के रूप में प्रचार-प्रसार का कार्य करने लगे। कुछ लोग इसी बीच काशी विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय संस्थान में अध्ययन के लिए गए। बाद में उन्हें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा संचालित हिंदी अध्यापन मंदिर में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। इन्हीं के अथक प्रयास से असम में हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ा और आगे चलकर 'असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' का गठन हुआ।

असम का हिंदी भाषी राज्यों से गहरा सम्बन्ध रहा है। आज़ादी के पूर्व से ही बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आते जाते रहे। असम के लोगों का अन्य राज्यों के लोगों के साथ सम्पर्क हुआ और कई प्रकार के सम्बन्ध बने। क्योंकि जो भी व्यक्ति कहीं किसी अन्य प्रदेश में जाता है, अपने साथ अपनी भाषा और संस्कृति को भी ले जाता है। वह बेशक काम काज के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को अपनाता है, किन्तु घर- परिवार में अपनी भाषा का ही प्रयोग करता है। हालाँकि मुगलकाल और अंग्रेजों के जमाने में भी देश के अनेक भागों से हिंदी भाषी लोगों का असम में आना जाना लगा रहता था। किन्तु अंग्रेजों ने जब चाय बागान का विस्तार किया उस समय बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश

आदि अनेक हिंदी भाषी राज्यों से लोगों को लाकर बसाया। अब तो 'चाय' उद्योग में काम करने वाले अधिकांश लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। उनकी जातीय पहचान और संस्कृति आज भी हिंदी है।

असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली में इसे सौर ऊर्जा का उत्पादन और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर सबसे आकर्षक सूर्यास्त के लिए जाना जाता है। असम से गुवाहाटी में सबसे छोटे बसे हुए ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीप हैं। देश का पहला तेल का कुआँ और तेल की शोधशाला असम के डिगबोई में है। असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। चाय के उत्पादन में असम का कोई शानी ही नहीं है। हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कई सारी संस्थाएँ अनवरत काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए, असम राष्ट्रभाषा समिति गुवाहाटी, केन्द्रीय हिंदी संस्थान गुवाहाटी, असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जोरहाट, राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुवाहाटी, राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नार्थ गुवाहाटी तथा राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, असम सरकार आदि हिंदी के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं।

असम में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम करते हैं- कामकाज, बिजनेस व्यापार, बाजार तथा सांस्कृतिक उत्सवों के अवसर पर असमी के साथ-साथ हिंदी का व्यापक प्रयोग हो रहा है। असमी भाषा और साहित्य बहुत समृद्ध है, किंतु हिंदी के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। असमी भाषा का लेखक, कवयित्री तुरन्त हिंदी में आना चाहता है इसलिए हिंदी में अनूदित होकर शीघ्र ही व्यापक समाज से जुड़ जाता है। शुरु से ही असम के लोग अकादमिक, राजनीतिक, शिल्प, नृत्य, संगीत, कला साहित्य संगीत, थियेटर, फिल्म आदि क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। जिस तरह से हिंदी प्रदेशों में गंगा नदी का स्थान है उसी तरह से असम में ब्रह्मपुत्र नदी का। असम में आरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारणों तथा आर्द्र भूमि की प्रचुरता के कारण यहाँ दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षी पाए जाते हैं। काजीरंगा अभ्यारण्य असम पूरे देश - दुनिया में विख्यात है। वर्षों तक असम में चैरापूँजी सबसे अधिक वर्षा के लिए जाना जाता रहा है। पर्यावरण तथा प्राकृतिक सुन्दरता के लिए असम बहुविध है। अलग- अलग फल, फूल, पौधे, पशु पक्षी की अलग- अलग जातियाँ- प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। आज भी वह अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कला, थियेटर गीत- संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। कला, गीत संगीत थियेटर और फिल्म की दुनिया, भाषा की सीमा में बँधे नहीं रह सकते। इसीलिए उन्हें व्यापक बाज़ार की जरूरत होती है। हिंदी भाषा और हिंदी दुनिया एक बहुत बड़ा बाज़ार है। उससे जुड़कर असम की भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, फिल्म आदि का तो विकास हो ही रहा है साथ में हिंदी भी फूल- फूल रही है। असम के शैक्षिक संस्थान विद्यालयों विश्वविद्यालयों, आदि में हिंदी में अध्ययन अध्यापन बढ़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि असम की जनता हिंदी में रुचि ले रही है। हिंदी संपर्क भाषा, कला जगत की भाषा, अध्ययन-अध्यापन की भाषा बिजनेस व्यापार की भाषा तथा सार्वदेशिक भाषा के रूप में काम कर रही है। चूँकि हिंदी का बाज़ार के साथ एक गहरा रिश्ता है। इसलिए हिंदी और असमी दोनों के बीच भाषाई आदान प्रदान की बहुत ही गुंजाइश है। ऐसे अवसरों की तलाश की जानी चाहिए जिससे इन दोनों के बीच निकटता बढ़े और असमी

के साथ हिंदी लोगों के दिलों की भाषा बने। जिस प्रदेश में हिंदी के प्रचार-प्रसार के इतने संगठन और संस्थान हैं वहाँ हिंदी का भविष्य तो उज्ज्वल होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है।

पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर को भारत का रत्न कहा जाता है। पहाड़ियों से घिरा मणिपुर बहुत ही खूबसूरत राज्य है जिसे लोग 'सुनहरी धरती' कहते हैं। मणिपुर की सीमाएँ मिजोरम, असम और नागालैण्ड राज्यों से जुड़ती हैं। मणिपुर की घाटी एक पठार है। उसकी पहाड़ियाँ एवं पर्वतमालाएँ भारत की उत्तरी सीमाओं का निर्धारण करती हैं। मणिपुर पर बंगाल के कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव रहा है, हालाँकि पर्वतीय जिलों में अधिकांश जनसंख्या ईसाई धर्म के उपासकों की है। मणिपुर में 19वीं शताब्दी में ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया था। घाटी में मुस्लिमों का भी एक वर्ग है जिनका सम्बन्ध सुन्नी सम्प्रदाय से है। खेल के इतिहास में मणिपुर पारम्परिक खेलों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि 'पोलो' का प्रारम्भ मणिपुर से ही हुआ। दूसरा लोकप्रिय खेल नौका दौड़ भी है। आजकल तो मणिपुर राज्य राष्ट्रीय खेलों, राष्ट्रमण्डल खेलों, एशियाई खेलों तथा ओलम्पिक खेलों में बड़ी संख्या में देश का प्रतिनिधित्व करता है। मणिपुर की अर्थव्यवस्था कृषि, वन, उपज, उद्योग, खनन, व्यापार तथा पर्यटन पर आधारित है। राज्य के घरेलू उत्पादन में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। यह रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्योंकि मणिपुर की अधिकांश जनसंख्या गाँव में रहती है। दो तिहाई लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। हस्तशिल्प भी राज्य का महत्वपूर्ण उद्योग है। कपड़े पर कढ़ाई बँत और बाँस नगीने तथा लकड़ी का काम, बर्तन और धातु शिल्प गुड़िया और खिलौने आदि पर मणिपुर हस्तशिल्प का व्यापक प्रभाव है। खासकर कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योगों में महिलाएँ पारंगत हैं। एक तरह से कह सकते हैं मणिपुर की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में देखी जा सकती है। राज्य के तमाम उत्पादनों का व्यापार और लेन देन महिलाओं द्वारा ही किया जाता। कह सकते हैं कि मणिपुर में महिलाओं का स्थान काफी ऊँचा और स्वतंत्र है। यहाँ की महिलाओं ने अंग्रेजों को भी मात दी थी।

चूँकि इम्फाल में बाजार व्यवस्था महिलाओं के हाथ में है। यह उनकी अपनी आत्मनिर्भरता, अस्मिता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। वे अपनी आत्मनिर्भरता और अस्मिता के लिए लड़ती हैं और उसकी रक्षा के लिए जानी जाती हैं। वे नागरिक आंदोलन, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग, शराबखोरी तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों और राजनीतिक मुद्दों पर लड़ाई भी लड़ती हैं। मणिपुर की जनता उत्सव धर्मी है और उनके उत्सव कृषि संस्कृति से जुड़े हुए हैं। नृत्य और संगीत उनके जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्राचीन काल से मणिपुर भारत और बर्मा के बीच भूमिगत व्यापार का मार्ग रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी यहाँ जापानियों और मित्र राष्ट्रों की फौजों के बीच कई युद्ध लड़े गए। सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल आर्मी मणिपुर में प्रवेश कर मोईरंग पहुँच गई थी। हालाँकि द्वितीय विश्वयुद्ध में जापानियों के पीछे हटने के कारण 14 अप्रैल 1944ई. को मोईरंग में सुभाष चन्द्र बोस ने राष्ट्रीय ध्वज

फहराया। अंग्रेजों से मुक्ति के बाद मणिपुर संविधान अधिनियम, 1947ई. के अंतर्गत 1949ई. में मणिपुर का भारत में विलय हुआ।

1972ई. तक लगभग 25 वर्षों तक मणिपुर केन्द्र शासित प्रदेश था उसके बाद यह पूर्ण राज्य बना। कांस्य पदक विजेता और लगातार 5 बार की विश्व बॉक्सिंग विजेता मैरी कॉम ने देश और अपने राज्य मणिपुर को वैश्विक गौरव प्रदान किया। उन्हें कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं। हाल ही में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मणिपुर आधुनिक भारत का एक अलग रूप है, जहाँ विभिन्न समुदायों ने एक सामासिक संस्कृति में अपना अपना स्थान बनाया है। मणिपुर की सामासिक संस्कृति और राष्ट्रीय देश के लिए गौरव की बात है। इनका उल्लेख भारतीय साहित्य में अवश्य किया जाना चाहिए। भाषा और साहित्य की दुनिया सामसिकता के बिना फल फूल नहीं सकती। हिंदी को फलने फूलने विस्तार के लिए यह सामासिकता ही उसकी ताकत है, शक्ति है। देश का प्रत्येक राज्य व्यवस्था और केन्द्र से जुड़कर अखिल भारतीय होना चाहता है हिंदी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए मणिपुर में हिंदी का विस्तार और भविष्य उज्ज्वल है।

मेघालय तो मेघों (बादलों) का घर है। यहाँ ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ हैं। दरअसल मेघालय अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। औपनिवेशिक काल में शिलॉन्ग को 'पूर्व का स्कॉटलैण्ड' कहा जाता था भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में मेघालय ही एकमात्र राज्य है जहाँ मातृवंशीय समाज का प्रचलन है, इसमें वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है। यहाँ महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ सबसे छोटी लड़की ही पूर्वजों की सम्पत्ति की स्वामी होती है, जबकि मामा इस समाज में एक परामर्शदाता होता है जो सभी मामलों में अंतिम निर्णय लेता है।

यहाँ तीन प्रमुख जनजातियाँ खासी, गारो, और जयंतिया निवास करती हैं। इन्हीं जनजातियों के आधार पर मेघालय को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे खासी हिल्स में खासी जनजाति, गारो हिल्स में गारो जनजाति और जयंतिया हिल्स में जयंतिया जनजाति। मेघालय के इतिहास को देखें तो वहाँ ईसाई मिशनरियों का पहुँचना एक महत्वपूर्ण घटना थी। धर्म प्रचार के साथ ही ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य का प्रबंध भी किया। इसी सेवा भावना के माध्यम से वे अपने धर्म, भाषा और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करते थे। प्रारंभ में जो खासियों के लिए स्कूल खोले गए वहाँ बंगाली लिपि लागू की गई बाद में स्कूलों में रोमन लिपि का प्रयोग होने लगा। खासी, गारो और जयंतिया लोगों ने जब रोमन लिपि अपनाई तो बहुत ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने बाइबल तथा ईसाई साहित्य का स्थानीय भाषाओं के अनुवाद किया जिसे मिशनरी स्कूल में लागू किया गया।

पूर्व में मेघालय असम राज्य के अंतर्गत आता था। 1972ई. में मेघालय अलग राज्य बना। पहले यह असम का एक प्रशासनिक केन्द्र था। इसलिए यहाँ ब्रह्म समाज आंदोलन, बंगाल पुनर्जागरण तथा रामकृष्ण मिशन से आने वाले नए विचारों का हमेशा सम्मान किया जाता था। इन आंदोलनों ने न सिर्फ विचार दिए, बल्कि समाज में चेतना लाने के लिए वहाँ के लोगों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार भी किया। ब्रह्म समाज

तथा रामकृष्ण मिशन ने न केवल खासी हिल्स में अनेक स्कूल खोले, बल्कि उन्होंने परोपकार हेतु तो दवाखाने भी खोले। सन् 1924ई. में रामकृष्ण मिशन द्वारा खोला गया विद्यालय आज भी सिर्फ मेघालय का प्रतिष्ठित विद्यालय है। मेघालय में सोहरा (चेरापूँजी) सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा के लिए जाना जाता था, जो अब मासिनराम (मेघालय) है। मेघालय का बड़ा ही गौरवशाली अतीत, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा अद्भुत भू-परिदृश्य रहा है। अंग्रेजी शासन काल से ही राज्य देश भर में ख्याति प्राप्त स्कूलों के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत के खूबसूरत राज्यों में शामिल मेघालय पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है। जो प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन समय से विख्यात हो, पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता रहा हो, बिजनेस-व्यापार तथा सरकारी कार्यालयों का केन्द्र हो वहाँ निश्चित रूप से हिंदी के लिए विकास करने, फलने-फूलने का भरपूर अवसर है। बेशक हिंदी यहाँ द्वितीय-तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, किंतु संपर्क भाषा के रूप में सर्वाधिक बोली जाती है। केन्द्र सरकार के जो कार्यालय या शैक्षिक संस्थान वहाँ भाषा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें [मेघालय की बोली और भाषा को हिंदी के साथ तुलनात्मक रूप से जोड़ने तथा अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे के करीब लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बाज़ार और मीडिया हिंदी भाषा के विस्तार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जाहिर है मेघालय इससे वंचित या उपेक्षित नहीं है। पहले यह कहावत प्रचलित थी कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, किंतु अब मेघालय को 'पूर्व का स्कॉटलैण्ड' कहा जाता है। कांजीरगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, मेघालय में स्थित है। इस राज्य का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने औपनिवेशिक काल में शिलॉन्ग आए थे और कुईनटोन स्मारक हॉल में एक प्रेरणादायी व्याख्यान दिया था। इस हॉल का नामकरण बाद में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सांस्कृतिक केन्द्र कर दिया गया हालाँकि सुभाष चंद्र बोस सन् 1927 के बाद लगातार शिलॉन्ग आते रहे। अपनी प्रथम यात्रा में बोस ने एक पर्वतीय रिसॉर्ट को बर्मी जेलों में सश्रम कैद के दौरान अपनी सेहत में आई गिरावट से उबरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान के रूप में चयनित किया। मेघालय बहुत ही समृद्ध राज्य है। मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में कई शैक्षिक संस्थान खोले गए हैं। जैसे उत्तर-पूर्व पर्वतीय/विश्वविद्यालय तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, NCERT तथा NTPC और IFLU है। साथ ही अन्य सरकारी संस्थान हैं, जहाँ पूरे देश के लोग काम करते हैं। ये लोग अपनी भाषा और संस्कृति के साथ मेघालय आए हैं। ज्यादा से ज्यादा संवाद, उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएँ और उनकी भाषा और संस्कृति का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्हें भी देश के सत्ता शीर्ष शासन में जगह दी जाए तो निश्चित ही सकारात्मक माहौल तैयार होगा हिंदी उनमें बड़ी भूमिका निभा सकती है।

पूर्वोत्तर प्रदेशों में मिजोरम नीले पर्वतों का प्रदेश माना जाता है। यह उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ दक्षिण और पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में बांग्लादेश से लगती हैं। इसके पश्चिम में त्रिपुरा तथा उत्तर में असम और मणिपुर राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्र सामरिक महत्व का है। मिजोरम में बसने वाले लोग मिजो कहलाते हैं। कई समूह हैं जो मिजों के रूप में जाने जाते हैं। मिजों के सगोतीय लोग पूरे उत्तर-पूर्वी भारत बर्मा तथा बांग्लादेश में रहते हैं ब्रू और चक्मा मिजोरम के दूसरे जनजाति समूह हैं। नेपालियों की एक बड़ी संख्या मिजोरम के अलग-अलग हिस्सों में फैली हुई है।

19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईसाई मिशनरियाँ धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए मिजोरम आई थी। मिजोरम के लोगों का प्रमुख धर्म ईसाई है, क्योंकि ईसाई मिशनरियाँ जहाँ भी गई वहाँ धर्म के प्रचार-प्रसार के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल प्रश्नों को संबोधित करती हुई अपनी भाषा और संस्कृति की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार का मिजोरम की महिलाओं पर दूरगामी असर हुआ। ईसाई मिशनरियों ने महिलाओं के लिए पश्चिमी शिक्षा शुरू की। शुरू में तो लड़कों की शिक्षा को ही प्राथमिकता दी गई किंतु बाद में लड़कियों की शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई। शिक्षित लड़कियों को मिशनरियों ने नौकरियाँ प्रदानकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। मिजो लोगों में वधू मूल्य चुकाने की प्रथा है शादी के बाद वधू मूल्य निर्धारित होता है जिसका भुगतान दूल्हे के परिवार द्वारा वधू परिवार के मुखिया को किया जाता है। कुछ अंश शादी के दौरान किया जाता है और शेष भुगतान वर्षों तक किया जाता है। मिजो के लोगों द्वारा मुख्य भाषा मिजो का ही प्रयोग होता है जिसे लुशाई भी कहा जाता है। इस भाषा का सम्बन्ध कुकी चीन भाषा समूहों से है जो तिब्बत बर्मी परिवार की एक प्रमुख भाषा है। मिजो अंग्रेजी के साथ यहाँ की राजकीय भाषा भी है। हालाँकि राज्य में बगाली, हमार, लखेर, मारा, नेपाली, पावी, पाइथे तथा थाडरु आदि भाषाएँ और बोलियाँ हैं। मिजो की अपनी कोई लिपि नहीं है।

मिजो की लिपि रोमन है जिसमें 34 अक्षर शामिल हैं। मिजो का अपना भाषा साहित्य है, किंतु ईसाई मिशनरियों के योगदान से अंग्रेजी का बोलबाला भी है। मिजोरम भारत का अभिन्न अंग है इसीलिए वहाँ की जनता, भाषा संस्कृति अकेली न पड़ जाए इसलिए हिंदी भाषा, समाज और संस्कृति से जोड़कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। यह तभी संभव है जब मिजो और हिंदी के बीच अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ा जाए। चूँकि बिजनेस, व्यापार, रोटी, रोजगार तथा सरकारी और राजकीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के साथ उनकी भाषाओं को प्राथमिकता देनी होगी। जब हम क्रिसी की मातृभाषा को प्राथमिकता देते हैं या उसकी मातृभाषा का सम्मान करते हैं तो उसकी सभ्यता और संस्कृति, पर्व- त्यौहार, रीति-रिवाज के साथ खुद को जोड़ते हैं। उनके लिए हिंदी विदेशी या अपरिचित भाषा नहीं है। परिवेश में, मीडिया में, शिक्षण संस्थानों में हिंदी प्रयुक्त हो रही है। जरूरत है उसे सांस्थानिक रूप देकर हिंदी में अनुवाद कर ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित करने की। हिंदी के माध्यम से सत्ता प्रतिष्ठानों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। इसलिए हिंदी और मिजो के बीच सांस्कृतिक मेल मिलाप करने से भाषाई दूरियाँ कम की जा सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है जरूरत है पहल की।

पूर्वोत्तर भारत में नागालैण्ड उत्सवों का प्रदेश है। यहाँ साल भर उत्सव मनाए जाते हैं। नागालैण्ड के पूर्व में म्यांमार तथा अरुणाचल प्रदेश पश्चिम, और उत्तर में असम तथा दक्षिण में मणिपुर राज्य है। नागालैण्ड में 16 प्रमुख जनजातियाँ तथा अनेक उपजातियाँ निवास करती हैं। रीति रिवाजों, भाषा तथा वेशभूषा की दृष्टि से प्रत्येक जनजाति विशिष्ट और अनूठी है। हालाँकि वे अलग- अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं जोकि तिब्बती बर्मी परिवार के अंतर्गत आती है। राज्य में समृद्ध भाषिक परम्परा है और जितने जनजातीय

समूह हैं उतनी ही उनकी अपनी अपनी भाषाएँ हैं। राज्य में ऐसी बहुत सारी उपभाषाएँ हैं जो अबोधगम्य हैं। इससे समूहों के अंदर संवाद मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी को राज्यभाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जबकि असमी की एक खिचड़ी बोली नागामी अब एक आम भाषा बन गई है। नागा का इतिहास बहुत विस्तृत है यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश इण्डिया सरकार के साथ मिलकर दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में दो हजार नागा श्रमिक सैनिक फ्रांस भेजे गए। फ्रांस से लौटने के बाद 1918 में उन लोगों ने नागा क्लब की स्थापना की जिससे औपनिवेशिक प्रशासन की सहायता भी हुई और बाद में इसी क्लब ने नागा अस्मिता की तलाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुलाई 1960ई. में तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा नागा पीपुल्स कन्वेंशन के नेताओं के मध्य आपसी सलाह मशवरे के बाद 16 सूत्रीय समझौते पर सहमति बनी। जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने भारतीय संघ के अंतर्गत नागालैण्ड को एक पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता दी। 1 दिसंबर 1963 ई. को नागालैण्ड भारतीय संघ का 16वाँ राज्य बन गया। जिसके अंतर्गत 11 जिले हैं और कोहिमा उस राज्य की राजधानी बनी।

पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम हिमालय का स्वर्ग कहा जाता है। बड़े बड़े पर्वतों से घिरा यह एक छोटा-सा राज्य है। इसकी सीमा उत्तर में चीन तिब्बत से मिलती है तथा पूर्व में भूटान, दक्षिण में पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग तथा पश्चिम में नेपाल। सिक्किम का मूल नाम स्वर्ग है। पड़ोसी देश के नेपाली लोग इसे चावलों की घाटी कहा करते थे। नेपाल और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच आपसी सम्बन्ध भी बने हुए हैं बल्कि लेपचा डेन्जांग और लिम्बस जाति समूहों में शादी विवाह भी होते हैं। शादी कर के जब लड़की अपने घर आती है तो उसे सुहिम कहकर पुकारती है। सुहिम जिसे नया घर कहा गया। नया शब्द सुखिम यही बाद में सिक्किम हो गया। सिक्किम में तीन मुख्य जाति समुदायों में लेपचा, भूटिया तथा नेपाली हैं जो प्रकृति के उपासक हैं, साथ ही वह बौद्ध तथा हिन्दू धर्म के उपासक भी हैं। पर्वत की पूजा सिक्किम में एक बड़ा त्यौहार है जिसे सभी समुदाय मनाते हैं। सिक्किम में जाति, वंश, धर्म तथा जेडर आदि का कोई भेदभाव नहीं है। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायतों तथा सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। यहाँ की महिलाएँ आर्थिक भूमिका निभाने और निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं।

नागालैण्ड स्वतः बहुभाषा भाषी राज्य है किन्तु सामासिकता उसकी ताकत है। यही सामासिकता और लोकतंत्र भारत की ताकत है। जिस तरह दुकानों के बीच दुकानें फलती- फूलती हैं। ठीक उसी तरह भाषाएँ भी एक- दूसरे से जुड़कर समृद्ध होती हैं। हिंदी की सामासिकता नागालैण्ड की भाषा और संस्कृति को अपने में समाहित कर सकती है। जरूरत है उनके करीब जाने की है। उनकी भाषाओं के सम्मान के साथ उनकी संस्कृति का सम्मान करके हम हिंदी का विकास कर सकते हैं। वहाँ हिंदी का बेहतर विकास और विस्तार की अपूर संभावनाएँ हैं। नेपाल से सटे होने के कारण नेपाली ही वहाँ की संपर्क भाषा है फिर भी अधिकतर हिस्सों में अंग्रेजी और हिंदी बोली और समझी जाती है। मुख्य जातियों और उपजातियों की अपनी- अपनी भाषाएँ भी व्यवहार में हैं।

सन् 1947ई. में स्वाधीनता के उपरांत सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया जिसके अंतर्गत रक्षा, विदेशी सम्बन्ध, संचार आदि का नियंत्रण भारत सरकार के पास था जबकि सिक्किम में राजशाही को जारी रख दिया गया। बाद में राजशाही के विरुद्ध लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सिक्किम 16 मई, 1975ई. को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती तथा स्थायित्व के कारण सिक्किम पर्यटकों का प्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ देश विदेश से अनेक पर्यटक आते हैं। नाथुला, चीन और भारत का सिक्किम स्थित मुख्य सीमा स्थल है जो गंगटोक से 50 किलोमीटर दूर है। सिक्किम भाषा, साहित्य, संस्कृति, पर्व, त्यौहार रीति रिवाज धर्म आदि की मान्यताओं के आधार पर बहुत ही स्थिर प्रदेश है। यहाँ किसी तरह का विवाद प्रायः नहीं मिलता। लोकतंत्र के विकास की दृष्टि से यह राज्य बहुत महत्वपूर्ण है।

पर्यटन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। पर्यटन ही एक ऐसा क्षेत्र है जो अलग-अलग भाषा और संस्कृतियों को स्थान उपलब्ध कराता है। यहाँ हिंदी को अन्य भाषाओं के साथ मिलजुल कर विकास करने का अच्छा अवसर हो सकता है। किंतु बिजनेस-व्यापार तथा लोगों के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए सांस्कृतिक स्तर पर काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिक्किम में हिंदी जानने वालों का अभाव है या हिंदी के लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं। बाज़ार और मीडिया की उपलब्धता से भाषाओं के बीच आपसी सम्बन्धों को धार देने के लिए उनके अंतर्भाषायी कार्यशालाएँ की जा सकती हैं। पर्व त्यौहारों में वहाँ के लोगों की संस्कृति के साथ हिंदी संस्कृति का मिलाजुला कार्यक्रम किया जा सकता है। शैक्षिक संस्थानों की उपलब्धता तथा हिंदी के प्रति उनकी रुचि को आकर्षित करने के लिए सिक्किम की भाषाओं का हिंदी भाषा और संस्कृति में स्थान देना होगा। उनकी अस्मिता और पहचान को हिंदी भाषा साहित्य में स्थान और महत्व देना होगा। फिर हम सभी तरह की दूरियाँ मिटा सकते हैं और उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति में शरीक कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं के बीच अंतःक्रिया से भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी भी मजबूत होगी। हिंदी तभी अंग्रेजी की जगह लेगी।

पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा अपनी भौगोलिक और पारिस्थिति की विविधता के लिए जाना जाता है या यह कह सकते हैं कि वह विविधताओं का प्रदेश है। इस विविधता में ही उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी जुड़ी हुई है। त्रिपुरा में अलग-अलग जातीय समूहों, धर्मों के लोग रहते हैं जो अपने संगीत, नृत्य, ललित कलाओं, लोक साहित्य, वास्तुशिल्प तथा हस्त-शिल्प के माध्यम से जीवन का उत्सव मनाते हैं। त्रिपुरा की सीमा उत्तर-पूर्व में असम तथा मिजोरम के साथ उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश के साथ लगती है। त्रिपुरा में 19 जनजाति समूह हैं। जिनकी कुल जनसंख्या 31.05 जबकि 70% गैर जनजातीय समूह हैं जनजातीय लोगों में त्रिपुरी अथवा देवबर्मन समुदाय बहुसंख्यक है जबकि गैर जनजाति समुदाय अधिकतर बंगाली तथा मणिपुरी लोग हैं। अन्य जनजाति समूहों में भील मुण्डा, संथाल, लेप्चा, मैतेई तथा खासिय अप्रवासी हैं जो मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, भूटान, मेघालय, सिक्किम आदि प्रदेशों से यहाँ आकर बस गए हैं। चकमा और मोघ अराकान जातियाँ हैं जो पहाड़ी रास्तों से यहाँ प्रवेश कर गईं। माना

यह जाता है कि माणिक्य शासकों ने बंगालियों को त्रिपुरा में बसने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने धीरे-धीरे बांग्ला भाषा और साहित्य को अपनी संस्कृति में शामिल कर लिया। प्रशिक्षित लोगों की कमी के कारण माणिक्य शासकों को बंगाल से अध्यापक, डॉक्टरों, वकीलों को यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया गया। धान की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भूमिहीन खेतिहरों को यहाँ बुलाने की आवश्यकता पड़ी। बंगाली लोगों के साम्प्रदायिक दंगों के भय से भागकर बंगाल के कुछ लोग भी त्रिपुरा में आ बसे। वीर विक्रम माणिक्य ने उन्हें स्थापित करने में सहायता की। देश विभाजन के उपरांत पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में बंगाली यहाँ आए।

1971ई. के विभाजन तथा पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति और बांग्लादेश निर्माण के साथ बड़ी संख्या में शरणार्थी यहाँ आकर बस गए। लगभग 60% जनसंख्या इन्हीं बंगालियों की है। रबड़ की खेती, मत्स्य पालन, धान, मछली का उत्पादन हाथों से बुने कपड़े, लकड़ी की नक्कासी, बाँस की वस्तुओं आदि के लिए भी त्रिपुरा जाना जाता है। बाँस की 250 प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। त्रिपुरा में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में बांग्ला भाषा और साहित्य, को कॉकबराँक तथा इसकी उपबोलियाँ और मणिपुरी शामिल हैं। कॉकबराँक भाषा का प्रादुर्भाव तिब्बती बर्मी परिवार की भाषा से हुआ जिसकी लिपि बांग्ला है। बांग्ला भाषा और साहित्य को माणिक्य शासकों का संरक्षण प्राप्त रहा है रवीन्द्रनाथ टैगोर का भी त्रिपुरा में आना-जाना लगा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने बड़ी उत्कृष्ट रचनाएँ त्रिपुरा प्रवास के दौरान लिखी। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान के अस्तित्व में आ जाने से त्रिपुरा के उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी सीमा शेष भारत से अलग हो गई। इसके अलावा पहाड़ियों और छोटी छोटी टेकरियों के कारण असम का सड़क मार्ग भी बाधित हो गया। भारत के साथ अपने सम्बन्धों को कायम रखने के लिए उसके पास भारतीय गणराज्य में विलय ही एकमात्र विकल्प था। क्योंकि त्रिपुरा में शाही शासन समाप्त हो गया था। अंतिम शासक राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के देहांत के साथ ही त्रिपुरा 1949 ई. में रानी कंचन प्रवा देवी द्वारा हस्ताक्षरित एक विलय समझाने के तहत भारतीय गणराज्य में मिल गया। वीरविक्रम किशोर माणिक्य कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा उनकी रचनाओं के अनन्य भक्त थे। उन्हीं के कहने पर रवीन्द्रनाथ टैगोर के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। टैगोर ने कुछ अपनी महत्वपूर्ण रचनाएँ त्रिपुरा प्रवास के दौरान लिखी थी। वीर चन्द्र से लेकर वीर विक्रम किशोर माणिक्य तक सभी माणिक्य शासकों ने रवीन्द्रनाथ टैगोर की महत्वाकांक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल के बोलपुर में 'विश्व भारती' की स्थापना के लिए खुलकर आर्थिक मदद की। टैगोर ने ही त्रिपुरा के कुछ सुप्रसिद्ध कलाकारों को विश्व भारती में जाने का निर्देश दिया और यह त्रिपुरा का ही योगदान है कि विश्व भारती की पाठ्यचर्या में मणिपुरी नृत्य शैली को भी सम्मिलित किया गया।

त्रिपुरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा राज्य है किन्तु पड़ोसी राज्य बंगाल के साथ मिलती जुलती संस्कृति तथा बांग्लादेश की सीमा के आर-पार व्यापारिक मार्ग तथा कृषि और औद्योगिक विकास की बड़ी सम्भावनाओं के कारण विशेष महत्व है। बांग्ला यहाँ की मुख्य भाषा है। जिसका गहरा सम्बन्ध हिंदी से

है। नवजागरण काल से बांग्ला और हिंदी में उत्तरोत्तर विकास हुआ। चूँकि त्रिपुरा में बांग्ला भाषा का प्रयोग किया जाता है इसलिए हिंदी को फलने फूलने का अवसर है। हिंदी और त्रिपुरा की जनता के बीच भाईचारा, भाषा साहित्य तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में आदान- प्रदान तभी संभव है जब हम हिंदी भाषा साहित्य में अनुवाद के माध्यम से उन्हें स्थान दें और हम अनूदित होकर उन तक पहुँचे। हिंदी इस क्षेत्र में सेतु का काम कर सकती है। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य भाषाई विविधता सांस्कृतिक विपुलता के लिए जाने जाते हैं। भाषा के स्तर पर उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाएँ तो हैं ही, साथ ही बिजनेस व्यापार, श्रम रोज़गार, सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी प्रयोग की जाती है। हिंदी के लिए यह क्षेत्र बहुत उर्वर है। अध्ययन अध्यापन के रूप में हिंदी विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। जो बांग्ला जानते हैं वे हिंदी भी जानते हैं और ऐसे लोगों की जनसंख्या- 60 से 70 प्रतिशत है।

पूर्वोत्तर भारत में हिंदी प्रयोग के लिए गांधी जी की भूमिका को याद करना ज्यादा प्रासंगिक लगता है। पूरे भारत में हिंदी के विस्तार और प्रयोग की चिंता गांधी को क्यों हुई? - गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि हिंदी के विरोध में अंग्रेजी सरकार, कांग्रेस के अधिकांश नेता तथा अंग्रेजी राज चलाने वाली नौकरशाही पड़ी थी। वह किसी भी तरह से हिंदी का विस्तार, विकास और उसके राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा तथा राजभाषा के रूप में स्वीकृति नहीं चाह रही थी। गांधी जी को लगा कि यह तो एक खास तरह की साजिश है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपरांत उन्होंने सारे विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदी के समर्थन में गांधी जी ने जोरदार समर्थन जुटाना शुरू किया, हिंदी की बहुत सी पत्र पत्रिकाएँ निकालनी शुरू कर दीं. स्वयं उसमें लिखने लगे और देश की जनता से हिंदी के प्रति समर्थन जुटाने में लग गए। देश की जनता से हिंदी में पत्राचार प्रारंभ किया।

गांधी ने दक्षिण के चार प्रांतों आंध्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से हिंदी के प्रति समर्थन जुटाया तथा हिंदी के प्रति अनुकूल माहौल बनाया। उन्होंने अनेक प्रभावशाली नेताओं को हिंदी के पक्ष में किया जो आसान काम नहीं था। गांधी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि संपूर्ण देश में हिंदी संपर्क की भाषा के रूप में फले फूले, क्योंकि हिंदी ही वह भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बाँधे रह सकती है, इसी में वह समाहार शक्ति है जो सभी को समाहित कर सकती है।

सन् 1924ई. में बेलगाँव में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षीय वक्तव्य में उन्होंने कहा कि "निश्चित अवधि के अंतर्गत प्रांतीय कार्यालयों, विधान मंडलों एवं अदालतों की भाषा उस प्रांत की भाषा होनी चाहिए, किंतु हिंदी सारे हिंदुस्तानियों के अंतर्प्रांतीय व्यवहार के लिए सबसे अच्छी भाषा होगी।" (संपूर्ण गांधी वाङ्मय खंड 17, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, 1960 ई., पृ. 1009)

उन्होंने जोर देकर कहा कि "यह बात सभी को स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि हिंदी को प्रादेशिक भाषाओं का स्थान कतई नहीं लेना है। उसे अंतर्मातीय विचार का माध्यम बनना है और सभी अखिल भारतीय संगठनों की अधिकृत भाषा का स्थान लेना है।" (यंग इंडिया, 31 जनवरी, 1929)

गांधी की चिंता हिंदी को अंतर्प्रातीय विचार की भाषा और अखिल भारतीय संगठनों की अधिकृत भाषा बनाने का उद्देश्य पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ना था। क्योंकि अंग्रेजी शासन अंग्रेजी थोपकर प्रांतों को उनकी भाषा के माध्यम से लड़ना और फूट डालना चाहता था। गांधी इस सच को जान ही नहीं समझ भी रहे थे। उनका कहना था कि "अंग्रेजों ने यदि अंग्रेजी के स्थान पर प्रांतीय भाषाओं या हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया होता तो आज प्रांतीय भाषाएँ आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध होती, मैं भाषा पर इतना जोर इसलिए देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय एकता प्राप्ति का यह सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसका आधार जितना दृढ़ होगा उतना ही प्रशस्त हमारी एकता होगी।" (The Educational Philosophy of Mahatma Gandhi, Page No. 223)

गांधी जी ने कहा राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हिंदी का प्रचार-प्रसार और उसका अधिकाधिक प्रयोग पूर्वोत्तर के राज्यों में किया जाना चाहिए। यह दृढ़ प्रतिज्ञा और संकल्प समस्त भारतवासी का होना चाहिए।

पूर्वोत्तर के बहुत सारे राज्यों में जो ईसाई मिशनरियाँ गई उन्होंने अंग्रेजी का ऐसा बिरवा रोपा कि वह अब वृक्ष बन रहा है। वह वृक्ष नहीं बनना चाहिए इसलिए प्रांतीय भाषाओं के साथ हिंदी का विकास जरूरी है। जरूरत है गांधी की ही तरह दृढ़ प्रतिज्ञा होकर पूर्वोत्तर में हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने की। गांधी के विचारों को अब सौ बरस हो रहे हैं तब से हिंदी की स्थिति में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। पूर्वोत्तर देश की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। यह सही समय है जब उनकी प्रांतीय भाषाओं के साथ भारतीय भाषाओं तथा हिंदी की अंतःक्रिया की जाए। मसलन अरुणाचली (नेपाली, असमी तथा यहाँ की स्थानीय भाषाओं, मणिपुरी अथवा मेतेई, बांग्ला, खासी, गारो तथा अन्य स्थानीय भाषाओं, मिजो (लुशामई), बंगाली, मारा, नेपाली, पाओ, पाईते, नागामी, भूटिया, गुरूंग, लेपचा, लिंबु मगार, मांझी नेवारी, राई, शेरपा, तमांग, तिब्बती, कॉकबराँक, होजागिरी, वेरजु, लेबांग, बोआनि, झूम, संगराई लोग हाई हाक आदि प्रमुख प्रांतीय भाषाएँ तथा पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थानीय भाषाओं और हिंदी के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाना चाहिए।

हिंदी का इन सभी भाषाओं के साथ अंतः क्रिया से पूर्वोत्तर की प्रांतीय भाषाओं और स्थानीय भाषाओं का विकास होगा। साथ ही हिंदी का विकास होगा और अंग्रेजी की जड़ें कमजोर होंगी। हिंदी को राजभाषा बनाने के पीछे जो चिंता थी वह यही कि प्रांतीय भाषाएँ अंतः क्रिया करें और राजभाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी अंतः भाषाई का काम करें। अखिल भारतीय संगठनों की भाषा बने। यह समय बहुत उपयुक्त है। सरकारें भी हिंदी का विकास प्रांतीय भाषाओं के साथ-साथ चाहती हैं। पूर्वोत्तर का विकास हिंदी के साथ मिलकर होगा तो वे हिंदी का अभिन्न अंग बनी रहेगी और देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। इस दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में उनकी भाषाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है। जैसे जैसे उनकी अपनी भाषाओं का विकास होगा वैसे वैसे संपर्क भाषा हिंदी स्थान लेगी और पराधीनता की प्रतीक भाषा अंग्रेजी का स्थान घटता जाएगा।

इस सम्बन्ध में अंबेडकर भी याद आते हैं। उन्होंने प्रांतीय भाषाओं को प्रांत के गठन के साथ मान्यता दी किंतु उन प्रांतों में संपर्क भाषा तथा राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के लिए कहा था और भारतीय संविधान में प्रावधान किया था। उन्हें मालूम था कि प्रांतीय भाषाएँ अगर राज्यों में राजभाषा का स्थान लेगीं तो वहीं उनकी पहचान शीघ्र ही राष्ट्रीयता में बदल जाएगी जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा बनेगी। इसलिए राजभाषा हिंदी की दृष्टि से पूरे भारत को 'क' 'ब' 'ग' गीतों में विभाजित किया था। पूर्वोत्तर भारत में राजभाषा के साथ हिंदी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित है। अगर इनकी जड़े कमजोर हुईं तो राष्ट्रीयता के खतरे पैदा होंगे। इसलिए भारत सरकार स्पेशल पैकेज देकर पूर्वोत्तर के राज्यों को 'राष्ट्र' की मुख्यधारा में लाना चाहती है और अब पूर्वोत्तर भारत अपनी भाषा और संस्कृति तथा अपनी अस्मिता के साथ न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के मानचित्र पर छाया हुआ है।

हाँ यह कहना असंगत न होगा कि 1947ई. को बाद ये क्षेत्र अपनी भाषा और संस्कृति के साथ कुछ अलग- अलग पड़े हुए थे। बड़ी सूझबूझ के साथ उन्हें भारतीय एकता और अखंडता में मिलाया गया था। भाषाई अस्मिता, संस्कृति ही पहचान का आधार होती है। अगर वह अलग अलग पड़ गई तो हमारी एकता, अखंडता भी दरकेगी। यह चिंता प्रत्येक भारतवासी की होनी चाहिए। इसलिए पूर्वोत्तर भारत में हिंदी भाषा को उनकी स्थानीय भाषाओं के साथ मिलकर कार्य करना होगा। बहुत सारी भाषाएँ और संस्कृतियाँ मिट रही हैं क्योंकि उनके बोलने समझने वाले मिट रहे हैं। भारत की चिंता उनको बचाने और संरक्षित करने को ही भाषा के स्तर पर, जो शासन-सत्ता वह शोषण न करे इसलिए उनकी भाषाई संस्कृति को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाना होगा उसमें हिंदी की प्रमुख भूमिका होगी।

कहना गलत नहीं होगा कि पूर्वोत्तर के राज्य भारतीय भाषा और संस्कृति का वह खजाना है जो उसे पाएगा वह बौरा जाएगा। जरूरत है उस अपार भाषा और संस्कृति की हिंदी भाषा और संस्कृति के साथ मणिकांचन मिलन। यह मिलन जितना भावपूर्ण होगा, एक दूसरे का प्रतिपूरक होगा उतना ही भारत राष्ट्र अपनी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता के क्षेत्र में ताकतवर होगा। विश्वगुरु बनना है तो किसी को न छोड़ते हुए सबको अपनाना होगा। हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है।